भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2215

सोमवार, 2 दिसम्बर, 2019/11 अग्रहायण, 1941 (शक)

स्वास्थ्य परिचर्या सेवा

2215. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में झारखंड में गिरिडीह सहित राज्य-वार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से पेंशनरों और असंगठित क्षेत्र के लिए भी स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की है/शुरू करने का प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त से देश में झारखंड सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार अब तक कितने श्रमिक लाभान्वित हुए हैं/होने की संभावना है; और

(ग) अब तक उक्त पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितना व्यय हुआ है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): जी, नहीं। हालांकि, सरकार का एक प्रायोगिक स्कीम के माध्यम से ईपीएस, 1995 के अंतर्गत 1000/- रूपये तक की मासिक न्यूनतम पेंशन पाने वाले और दिल्ली में रहने वाले कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस) 1995 के पेंशनधारकों के लिए चिकित्सा लाभों का विस्तार करने का प्रस्ताव है।

(ग): उपर्युक्त प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

******